Accidents in Workplaces

3572. SHRI SURESH PACHOURI. Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of accidents and labourers killed or injured in those accidents in factories, and mines or workplaces during the last three years and

(b) the details of the safety measures contemplated to provide greater safety to labourers at their workplaces?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PA. SANGMA): (a) Information in respect of mines is as follows:—

Year	No. of accidents	No. of persons killed	No. of persons injured
1991	1316	245	1143
1992	1325	261	1143
1993	1273	265	1104

The requisite information in respect of factories or workplaces is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Safety of workers employed in mines and factories is ensured through legislative measures viz. The Mines Act, 1952, The Factories Act, 1948 and the rules, regulations framed thereunder which are enforced by the Central Government and the State Governments respectively. These are reviewed from time to time and deficiencies rectified by taking appropriate measures including statutory amendments. In addition, the Government is promoting better safety standards through a number of other initiatives such as self-regulation by management, tripartite and bipartite reviews at various levels, training of workers, conferences on safety, worker's participation in safety management etc.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना

3573. श्री सुरेश पचौरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में कतिपय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, वे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जैसी योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना के तहत, विशेष रूप से जनजातियों हेतु इस प्रकार के केन्द्र राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खोले गए हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।